

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ~~गिरवापे~~ लालपुरा

1531/2024

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का ~~कादेडा~~ / नायब व भू.अ.नि. वृत्त ~~कादेडा~~ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ~~चाकड~~ / नायब तहसीलदार ~~चाकड~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~कादेडा~~ तहसील ~~चाकड~~ व जिला ~~जयपुर~~ की जमाबंदी सम्वत् 2023-24 में खाता संख्या ~~221~~ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कादेडा	221	राजेन्द्र सिंह पुत्र धन सिंह	रक्षित उर्फ राजेश सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र धन सिंह

शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 चाकसू (जयपुर)
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू, जयपुर।

दि 17-12-24

क्रमांक:- 2155/2024/3802
 प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील ~~चाकड~~ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ~~राजेश सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह~~ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 लोक अदालत
 चाकसू (जयपुर)
 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू, जयपुर।